न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 167 /2015–16 अन्तर्गत धारा 333 जेड0ऐ0एल0आर0एक्ट

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ धमेन्द्र पुत्र स्व0 तारा सिंह, निवासी–ग्राम मेहूंवाला माफी, परगना पछवादून, तहसील सदर, जनपद देहरादून।

बनाम

1. उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून 2. ग्राम सभा मेहूवाला माफी, परगना पछवादून, तहसील सदर, जनपद देहरादून 3. श्री राकेश बत्ता पुत्र स्व0 प्रकाश चन्द बत्ता, निवासी 19–ए, महन्त रोड़, देहरादून 4. कु0 देविका बत्ता पुत्री श्री राकेश बत्ता निवासी–19–ए, महन्त रोड़, देहरादून।

उपस्थित : श्री पी0एस0 जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री आशुतोष शर्मा।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता संख्या–03 व 04 / कैविएटर : श्री प्रेमचन्द शर्मा

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के आदेश दिनांक 11–02–2016 जो कि उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी संख्या–15 / 2015–16 अन्तर्गत धारा–333 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कुमारी देविका बत्ता आदि बनाम देवेन्द्र सिंह उर्फ धर्मेन्द्र सिंह आदि में पारित किया गया है के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

इस प्रकरण की संक्षिप्त पृष्ठ भूमि इस प्रकार है कि :–

निगरानीकर्ता द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी व धारा–209 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम भूमि खसरा नम्बर–114ख रकबा 0.5300 है0 व खसरा नम्बर–1052 रकबा 0.4410 है0 कुल रकबा 0.9710 है0 स्थित ग्राम मेहूवाला माफी, परगना पछवादून, तहसील व जनपद देहरादून के सम्बन्ध में सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी / परगनाधिकारी, सदर, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वाद के प्रारम्भिक स्तर पर वादी / निगरानीकर्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–229डी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि को अन्तरित, विक्रीत व हस्तान्तरित न किया जाय, उसमें तृतीय पक्ष के अधिकार सृजित न किये जाय एवँ न ही उसकी प्रकृति को परिवर्तित किया जाय।

विद्वान सहायक कलेक्टर ने दिनांक 10–04–2014 को निम्न अन्तरिम आदेश पारित किया :–

" पत्रावली प्रस्तुत। पत्रावली पर रखे गये स्थगनादेश चाहने बावत प्रार्थना पत्र पर वादी के विद्वान अधिवक्ता के ज0वि0 अधि0 / भू–राजस्व अधिनियम की धारा 229बी, 229डी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06–01–2014 पर प्रस्तुत तर्कों को सुना। अतः अग्रिम तिथि दिनांक 12–05–2014 तक उभय पक्षकारों को विवादित भूमि खसरा संख्या 1044ख रकबा 0.5300 है0 व खसरा संख्या 10525 रकबा 0.4410 है0 कुल रकबा 0.9710 है0 स्थित ग्राम मेहूवाला माफी परगना पछवादून तहसील व जिला देहरादून को खुर्द–बुर्द, क्रय–विक्रय, बन्धक करने से निषिद्व किया जाता है। पत्रावली दिनांक 12–05–2014 को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होवे।"

तत्पश्चात दिनांक 12–05–2014 को निम्न आदेश पारित किया गया :–

" पत्रावली प्रस्तुत। वादी पक्ष मय अधिवक्ता हाजिर। वादी द्वारा उपरोक्त वाद बहस की गई तथा कथन किया गया कि विपक्षीगणों द्वारा प्रश्नगत विवादित भूमि पर खुर्द बुर्द किये जाने की आशंका है जिस कारण विवादित सम्पत्ति को वाद के निस्तारण तक मौके पर भूमि को क्रय–विक्रय व उसके स्वरूप परिवर्तित करने से रोका जाय। पत्रावली का अध्ययन किया गया। उभयपक्षों को वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि के क्रय–विक्रय व उसके स्वरूप परिवर्तन से निषिद्व किया जाता है। उक्त आदेश खतौनी में जारी करने हेतु परवाना तहसील को जारी होवे। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 04–07–2014 को पेश होवे। "

उत्तरदातागण/प्रतिवादी संख्या–03 व 04 की ओर से भी एक प्रार्थना पत्र दिनांक 22–08–2014 को प्रस्तुत किया गया जिसमें एकपक्षीय रूप से वादी/उत्तरदाता के प्रार्थना पत्र दिनांक 06–01–2014 पर आदेश दिनांक 06–01–2014 (कदाचित त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित क्योंकि प्रथम अन्तरिम आदेश दिनांक 10–04–2014 है) एवं आदेश दिनांक 12–05–2014 को सव्यय निरस्त करने हेतु प्रार्थना की गई। यह प्रार्थना पत्र विद्वान सहायक कलेक्टर द्वारा अभी तक निस्तारित नहीं किया गया है। इस मध्य उत्तरदाता संख्या–03 व 04 द्वारा एक निगरानी अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें अन्ततः विद्वान सहायक कलेक्टर द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 12–05–2014 को निरस्त किया गया एवं इस निर्देश के साथ पत्रावली प्रतिप्रेषित की गई कि धारा–229डी के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर प्रदान कर विधिसम्मत आदेश पारित किया जाय। इसी आदेश के विरूद्व वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने ग्राह्यता के स्तर पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों को सुना।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि परीक्षण न्यायालय को धारा–229डी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अन्तरिम व्यादेश पारित करने का अधिकार प्राप्त है जिसे अपास्त कर विद्वान अपर आयुक्त ने अवैधानिकता की है एवं उनका यह निर्देश कि साक्ष्य का पर्याप्त अवसर प्रदान कर विधिसम्मत आदेश पारित किया जाय अनुचित है। दूसरी ओर प्रतिउत्तरदाता संख्या–03 व 04/कैविएटर के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मूल वाद न केवल वादग्रस्त भूमि में वादी/निगरानीकर्ता के भौमिक अधिकारों की घोषणा के सम्बन्ध में है अपितु उनके द्वारा प्रतिवादीगण/उत्तरदातागण को धारा–209 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि से बेदखल किये जाने हेतु भी दाखिल किया गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि वादी/निगरानीकर्ता का वादग्रस्त भूमि में अध्यासन न तो रहा है न है, ऐसे में परीक्षण न्यायालय ने अन्तरिम आदेश पारित कर तात्विक एवं वैधानिक अनियमितता की है। तद्नुसार विद्वान अपर आयुक्त का निगरानी में पारित किया गया आक्षेपित आदेश विधिसम्मत एवं उचित है। उत्तरदातागण संख्या–03 व 04/कैविएटर के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित व्यादेश दिनांक 12–05–2014 को अपास्त किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र द्वारा समर्थित प्रार्थना पत्र दिनांक 22–08–2014 पर कोई विचार एक लम्बी अवधि तक नहीं किया गया जिससे व्यथित होकर ही उनके द्वारा अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई।

निर्विवाद स्थिति यह है कि वादी निगरानीकर्ता द्वारा धारा–229बी एवं धारा–209 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत वाद योजित किया गया है। अन्तरिम व्यादेश दिनांक 12–05–2014 एकपक्षीय रूप से पारित हुआ है एवं उसके विरूद्व प्रतिवादी/उत्तरदातागण संख्या–03 व 04 ने एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित प्रार्थना पत्र दिनांक 22–08–2014 प्रस्तुत किया गया जिस पर अब तक कोई आदेश नहीं पारित किया गया।

धारा–229डी के अन्तर्गत विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी को उचित प्रकरण में वादकालीन/अन्तरिम व्यादेश पारित करने की शक्ति प्राप्त है। ऐसा व्यादेश किस भाँति एवं किस प्रकिया से पारित किया जायेगा तत्सम्बन्धी व्यवस्था दीवानी प्रकिया सँहिता के आदेश–39 नियम–3, 3ए एवं 4 में वर्णित है। आदेश–39 नियम–3 में एकपक्षीय रूप से ऐसे अन्तरिम व्यादेश पारित करने की व्यवस्था है, परन्तु इसी नियम के परन्तुक में यह व्यवस्था निर्धारित है कि संगत अभिलेखों के साथ ऐसे व्यादेश की सूचना विरोधी पक्ष को दी जायेगी। नियम–3ए के अन्तर्गत एकपक्षीय व्यादेश 30 दिन के भीतर निस्तारित किये जाने की व्यवस्था है। नियम–4 के अन्तर्गत ऐसे व्यादेश को उन्मोचित, परिवर्तित एवं अपास्त करने की व्यवस्था है।

विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी ने आलोच्य अन्तरिम आदेश के सम्बन्ध में आदेश–39 नियम–3 दीवानी प्रकिया सँहिता के प्राविधानों का पालन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उत्तरदातागण/प्रतिवादी संख्या–03 व 04 द्वारा शपथ–पत्र सहित अन्तरिम व्यादेश को अपास्त किये जाने की प्रार्थना किये जाने के उपरान्त भी एक लम्बी अवधि तक उस पर कोई आदेश पारित नहीं किये जो कि एक विधिक त्रुटि है।

जहाँ तक विद्वान अपर आयुक्त द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 11–02–2016 का प्रश्न है, प्रकरण के उपर्युक्त विश्लेषण के दृष्टिगत परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम व्यादेश अपास्त किया जाना उनके न्यायिक क्षेत्राधिकार में था परन्तु साक्ष्य सम्बन्धी मन्तव्य धुँधला है। यदि उनका मन्तव्य पूर्ण साक्ष्य के उपरान्त अन्तरिम व्यादेश पारित करने का था तो अन्तरिम व्यादेश की आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत होने पर अन्तिम आदेश पारित होगा। अतः उक्त मत स्थिर रहने योग्य नहीं है। इतना अवश्य है कि अन्तरिम व्यादेश पारित किये अथवा न किये जाने के सम्बन्ध में उभय पक्ष प्रथम अवसर पर ही ऐसे प्रमाण अथवा अभिलेख प्रस्तुत कर सकते हैं जो ऐसे व्यादेश के पारित किये जाने अथवा न किये जाने का प्रथम दृष्टया औचित्य सिद्व कर सके।

आदेश

उपर्युक्त विवेचना के आलोक में निगरानी ग्रहण कर प्रथम दृष्टया इसे इसी स्तर पर अस्वीकृत कर प्रकरण इस आशय से परीक्षण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण संख्या–03 व 04 का प्रार्थना पत्र दिनांक 22–08–2014 को प्रथम अवसर पर ही सुनकर अन्तरिम व्यादेश पारित करने अथवा न करने पर निर्णय लें। उभय पक्ष दिनांक 21–03–2016 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों। वे प्रथम अवसर पर ही अन्तरिम व्यादेश के सम्बन्ध में अपने पारस्परिक पक्ष के सम्बन्ध में ऐसे प्रमाण अथवा अभिलेख प्रस्तुत करेंगे जिन्हें वे आवश्यक समक्षें। उभयपक्ष अन्तरिम व्यादेश सम्बन्धी प्रार्थना पत्र दिनांक 06–01–2014 पर आदेश पारित होने तक वादग्रस्त भूमि के सापेक्ष अपनी–अपनी प्रास्थिति(position) का उल्लघंन न करने के लिए वचनबद्वता व्यक्त करते हैं, जिसका पालन किया जाय। इस आदेश की एक प्रति सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून को अविलम्ब भेजी जाय। न्यायालय पत्रावली सँचित हो।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक **29–02–2016** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।